

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसलिंग प्रक्रिया – 2015–16

for B.V.Sc. &A.H. / B.F.Sc. degree courses (based on PV&FT-2015 result)

ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख छः स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
 2. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं आनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान
(Online preferences/choice filling and payment of online application/portal fee)
 3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
 4. ऑनलाईन आबटन (Online Allotment)
 5. ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Online payment of part Admission fee)
 6. आबटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति एवं शेष प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Reporting in allotted College for Admission and Payment of Remaining Admission Fee)
- ✓ काउंसलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।** ऑनलाईन ऑफकैंपस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.mppcvv.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकते हैं।

- सभी अभ्यर्थी सनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान

(Online preferences/choice filling and payment of portal fee)

सफलतापूर्वक लागईन पश्चात अभ्यर्थी अपनी वांछित जानकारी का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

अभ्यर्थी कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध महाविद्यालयों/पाठ्यक्रम एवं फ्री (Free) / पेमेंट (Payment) सीटों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन कर सकेंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस लॉक कर सकेगा।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क रु. 550/- का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice) का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
 - इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
 - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

ऑनलाईन शुल्क भुगतान के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि से विश्वविद्यालय जबाबदार नहीं होगा।

3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ निर्धारित केंद्रों से सत्यापित करवाना होगा—

- पी.व्ही एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2015 की अंक सूची।
- हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, इन्टरमीडियट (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य का।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- यदि अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में दाखिला लिया है तो विश्वविद्यालय का प्रवसन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र।
- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने पर मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भगुतान की पावती

सहायता केंद्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

सहायता केंद्र अभ्यर्थियों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी करेंगे।

निम्नलिखित केन्द्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।

1. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2621330
2. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु
रसलपुरा महु – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324-276655
3. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
कुतुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662-221686

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

पो.व्ही. एण्ड एफ.टी. में प्राप्तांकों, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम, पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आबटन किया जावेगा तथा आबटित संस्था/प्राढ्यक्रम का उल्लेख आबटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

5. ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Online part payment of admission fee)

आबटन के पश्चात विद्यार्थी द्वारा अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क राशि रु. 5000/- का भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। आंशिक प्रवेश शुल्क रु. 5000/- के भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी आबटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा आबटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।**

6. आबटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति एवं शेष प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Reporting in allotted College for Admission and Payment of Remaining Admission Fee)

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आबटित संस्था में आबटन पत्र, आंशिक प्रवेश शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक शेष शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। शेष शुल्क आबटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क**

भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे।

कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याशी को योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दे दिया जावेगा।

फीस जमा करने के बाद काशन मनी के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं होगी।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से नीचे दर्शायी गयी फ्री सीट एवं पेमेंट सीट के लिये निर्धारित शुल्क प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा।

कुल फीस:—

फ्री सीट के लिये :- रुपये 33,688/— + प्रवेश पत्र शुल्क 250/— = रुपये **33,938/—**

पेमेंट सीट के लिये:

मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये रु. 1,08,688/— + प्रवेश पत्र शुल्क 250/—
= रुपये 1,08,938/—

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये रु. 1,58,688/— + प्रवेश पत्र शुल्क 250/—
= रुपये 1,58,938/—

(उपरोक्त शुल्क में से पूर्व में भुगतान किये गये रु. 5000/— घटाकर शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा)

**अधिष्ठाता संकाय
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर**